संदर्भ सं0: 29 / 7887   22.8.2009

श्री अनुज कुमार विश्नोई, आई0ए0एस0
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
पी0सी0एफ0 भवन,
32 स्टेशन रोड,
लखनऊ

विषयः– <u>जिले के केवल एक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होने पर समस्त जिले में छुट्टी घोषित करने के संबंध में</u>

महोदय,
गत 18.8.2009 को लखनऊ जिले के केवल एक विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद में चुनाव हुए। इस क्षेत्रीय निर्वाचन की वजह से पूरे लखनऊ जिले में इस दिन अवकाश घोषित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत लखनऊ जिले भर के सभी आफिसों, बैंकों, स्कूलों , औद्योगिक इकाईयों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी किया गया। यहां स्मरणीय है कि लखनऊ जिले में मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अलावा अनेक विधानसभा क्षेत्र हैं।

Representation of the Peoples Act 1951 के Sec135 B की व्याख्या में भारत के माननीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है– 'All establishments and Shops shall be closed on the day of pole in the constituency, where general election/ by election is to be held" इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित होगा, जहां निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जिले के केवल एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने पर पूरे जिले में अवकाश घोषित करना माननीय निर्वाचन आयोग के उपरोक्त स्पष्टीकरण के सर्वथा विपरीत है।

जिलाधिकारी, लखनऊ के उक्त आदेश के कारण इस दिन (18.8.2009) को लखनऊ जिले में मात्र एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने पर जिले भर की सारी व्यवसायिक गतिविधियां ठप्प हो गईं। इससे करोड़ों रूपये की उत्पादन व व्यवसायिक क्षति हुई और जिले को विशाल आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ा।

इस संदर्भ में आई0आई0ए0 का आपसे निवेदन है कि चुनाव / उपचुनाव होने पर केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही अवकाश घोषित होना चाहिए और केवल एक विधानसभा / लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव / उपचुनाव होने पर पूरे जिले में अवकाश नहीं होना

चाहिए। आशा है आप आई0आई0ए0 के सुझाव पर विचार करके तद्नुसार निर्णय करने की कृपा करेंगे।

आई0आई0ए0 भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा वोट डालने के मौलिक अधिकार एवं विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में वोट की अहमियत से भली–भांति परिचित है, परंतु इस अधिकार का दुरूपयोग भी हो रहा है। देखा गया है कि अनेक लोग वोट डालने के लिए दिए गए अवकाश के बावजूद भी वोट नहीं डालते। इस प्रकार के कई अन्य मुद्दों पर वार्ता के लिए आई0आई0ए0 का एक प्रतिनिधिमण्डल आपसे भेंट करने का इच्छुक है। कृपया सुविधानुसार इस भेंट हेतु समय एवं दिन निर्धारित कर हमें सूचित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद,

भवदीय,

डी0एस0वर्मा
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपिः – मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार

डी0एस0वर्मा